

सं०सं० : 09/नामांकन-02-01/2023...530(9)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

ललित मोहन शुक्ला,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
देवघर (झारखंड)।

राँची, दिनांक-23-9-2024

विषय : राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS, BDS, BHMS पठ्यक्रमों में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता संबंधी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक-394(9) दिनांक-23.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS, BHMS पठ्यक्रमों में दिव्यांगता कोटा के अंतर्गत नामांकन हेतु बहरापन एवं श्रवण निःशक्ता संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र नियुक्ति किये जाने हेतु एम्स, देवघर को निदेशित किया गया। निदेशक, एम्स, देवघर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, परन्तु उनके द्वारा निःशक्ता की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि सत्र-2024-25 के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS, BDS, BHMS पठ्यक्रमों में दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु एम्स, देवघर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता संबंधी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कृपा करेंगे।

अनु० : यथोक्त।

विश्वासभाजन




(ललित मोहन शुक्ला)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 09/नामांकन-02-01/2023...530(9)...../ दिनांक-23-9-2024...../

प्रतिलिपि : निदेशक, एम्स, देवघर / निदेशक/संकायाध्यक्ष, रिम्स, राँची / परीक्षा नियंत्रक, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, नामकुम, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव